



E.Mail . eepwdkapot@rediffmail.com

कार्यालय अधिकारी अभियन्ता  
निर्माण खण्ड, लो०नि०वि०, कपकोट



उत्तराखण्ड शासन

Ph./ Fax No. – 05963.253385 (O)

पत्रांक 2116 / 2ई0

दिनांक 27/11/2019

सेवा में,

अपर प्रमुख वन संरक्षक  
एवं नोडल अधिकारी,  
देहरादून

**विषय:-** जनपद बागेश्वर में धरमघर छिपछिया मोटर मार्ग प्रस्ताव संख्या (39043 / 2018)

**सन्दर्भ:-** आपके EDS Dated 16-11-2019

महोदय,

उपरोक्त विषयक सन्दर्भित पत्र के कम में अवगत कराना है कि आपके द्वारा उक्त प्रस्ताव में जो आपत्तियाँ लगायी गयी हैं उनका निम्नानुसार निराकरण कर अग्रिम आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित किया जा रहा है।

बिन्दु सं०	लगायी गयी आपत्तियाँ	आख्या
1	Please show alternate alignment detail in KML file as well as GPS and Toposheet map at section C (iii, iv) in Form A, part I.	Alternate alignment detail in kml file along with GPS co-ordinate and Toposheet map at section (III & IV) in formate part-I, is uploaded & also provided in hard copy.
2	User agency may upload documents related to all benefitted village with benefitted population in Form A, Part I	The Documents related to all benefitted village along with benefitted population is provided in Form A, Part I ( <b>attached Additional information Details</b> )
3	Original copy of the request document (As per the points mentioned above) may be submitted.	Original copy of the above mentioned documents is provided in hard copy and uploaded in form A part-I
4	User agency may upload/provide present status of the villages to be benefitted in the uploaded KML file in Form A, Part I	Present atatus of the villages benefitted is provided as per VLC and also as per the reply of SR NO-2 and which is also shown in kml file uploaded in Form A, Part I

भवदीप,  
✓अधिकारी अभियन्ता  
निर्माण खण्ड, लो०नि०वि०,  
कपकोट

प्रपत्र- 2.35

परियोजना का नाम :- जिला योजना के अन्तर्गत बागेश्वर-दोफाड़-धरमघर-कोटमन्या मोटर मार्ग से छिपछिया तक 4.00 किमी० मोटर मार्ग निर्माण हेतु वनभूमि प्रस्ताव उत्तराखण्ड लोक निर्माण विभाग को हस्तान्तरण ।

लाभान्वित होने वाले ग्रामों / परिवारों / जनसंख्या के सम्बन्ध में प्रमाण पत्र

प्रमाणित किया जाता है कि प्रश्नगत परियोजना के निर्माण से निम्न प्रकार स्थानीय ग्रामों/परिवारों/जनसंख्या को लाभ प्राप्त होगा।

क्र०स०	ग्राम का नाम	लाभान्वित होने वाली जनसंख्या	परिवारों की संख्या
1	मझेड़ा	285	71
2	लमझिंगड़ा(छिपछिया)	426	106

✓अधिकारी अभियन्ता  
निर्माण खण्ड,लो०नि�०वि०,कपकोट

परियोजना का नाम:- जनपद बागेश्वर के विधानसभा क्षेत्र कपकोट में जिला योजना के अन्तर्गत बागेश्वर-दोफाड़-धरमधर-कोटमन्या मोटर मार्ग से छिपछिया तक 4.00 किमी० मोटर मार्ग के निर्माण हेतु वनभूमि प्रस्ताव उत्तराखण्ड लोक निर्माण विभाग को हस्तान्तरण प्रस्ताव।

परियोजना स्थल किसी राष्ट्रीय पार्क/वन्य जीव अभ्यारण्य का हिस्सा न होने व प्रस्तावित स्थल की हवाई दूरी का प्रमाण

प्रमाणित किया जाता है कि प्रश्नगत परियोजना के निर्माण हेतु आवेदित वनभूमि किसी राष्ट्रीय पार्क/वन्य जीव अभ्यारण्य का हिस्सा नहीं है। प्रस्तावित स्थल की समीपस्थ राष्ट्रीय पार्क/वन्य जीव अभ्यारण्य की सीमा से हवाई दूरी 15 किमी० है।

कृपया लिखितात्मक  
उपलब्धि

उप-प्रभारी वनाधिकारी  
वन विभाग

उप-प्रभारी वनाधिकारी  
वन विभाग  
वन विभाग

क्षतिपूरक वृक्षारोपण हेतु भूमि को वन विभाग के नाम हस्तान्तरण व नामान्तरण एवं रजर्व वनभूमि घोषित करने का प्रमाण पत्र उपलब्ध कराने का अनुबन्ध

**परियोजना का नामः—** जनपद बागेश्वर के विधानसभा क्षेत्र कपकोट में जिला योजना के अन्तर्गत बागेश्वर-दोफाड-धरमधर-कोटमन्या मोटर मार्ग से छिपछिया तक 4.00 किमी0 मोटर मार्ग के निर्माण हेतु वनभूमि प्रस्ताव उत्तराखण्ड लोक निर्माण विभाग को हस्तान्तरण प्रस्ताव।

प्रमाणित किया जाता है कि जनपद बागेश्वर के विधानसभा क्षेत्र कपकोट में जिला योजना के अन्तर्गत बागेश्वर-दोफाड-धरमधर-कोटमन्या मोटर मार्ग से छिपछिया तक 4.00 किमी0 मोटर का निर्माण (लम्बाई 4.00किमी0) के निर्माण में प्रभावित 2.100 है0 भूमि के बदले दुगुने में क्षतिपूर्ति वृक्षारोपण हेतु 4.200 है0 भूमि ग्राम दुलम की सिविल बेनाप खाता सं0 9(3)ख0 बजर काबिल आबाद भूमि जो राज्य सरकार की भूमि है। ग्राम दुलम की सिविल बेनाप भूमि को क्षर्तिपूर्ति वृक्षारोपण हेतु वन विभाग के नाम हस्तान्तरण व नामान्तरण व रिजर्व वनभूमि घोषित करने की कार्यवाही वनभूमि की सैद्धान्तिक स्वीकृति प्राप्त होने के उपरान्त कर दी जायेगी।

सहायक अधिकारी  
निर्माण खंड समिति  
कपकोट

अधिकारी सा अधिकारी  
निर्माण नियम खंड कमान वि  
कापकोट (बागेश्वर)

### क्षतिपूरक वृक्षारोपण हेतु उपलब्ध भूमि का स्वामित्व प्रमाण-पत्र

**परियोजना का नाम:-** जनपद बागेश्वर के विधानसभा क्षेत्र कपकोट में जिला योजना के अन्तर्गत बागेश्वर-दोफाड़-धरमधर-कोटमन्या मोटर मार्ग से छिपछिया तक 4.00 किमी० मोटर मार्ग के निर्माण हेतु वनभूमि प्रस्ताव उत्तराखण्ड लोक निर्माण विभाग को हस्तान्तरण प्रस्ताव।

प्रमाणित किया जाता है कि जनपद बागेश्वर के विधानसभा क्षेत्र कपकोट में जिला योजना के अन्तर्गत बागेश्वर-दोफाड़-धरमधर-कोटमन्या मोटर मार्ग से छिपछिया तक 4.00 किमी० मोटर का निर्माण (लम्बाई 4.00किमी०) के निर्माण में प्रभावित 2.100 है० भूमि के बदले दुगुने में क्षतिपूर्ति वृक्षारोपण हेतु 4.200 है० भूमि ग्राम दुलम की सिविल बेनाप खाता सं० 9(3)ख० बजर काबिल आबाद भूमि जो राज्य सरकार की भूमि है। जिसमें राज्य सरकार का स्वामित्व है।

  
सम्मिलित अधिकारी  
निर्माण खंड, लोक निर्माण  
कपकोट (बागेश्वर)

  
अधिकारी अधिकारी  
निर्माण खंड, लोक निर्माण  
निर्माण खंड, लोक निर्माण  
कपकोट (बागेश्वर)

1.10(B)

### क्षतिपूरक वृक्षारोपण हेतु भूमि उपलब्ध कराने का अनुबन्ध

**परियोजना का नाम:**— जनपद बागेश्वर के विधानसभा क्षेत्र कपकोट में जिला योजना के अन्तर्गत बागेश्वर—दोफाड—धरमधर—कोटमन्या मोटर मार्ग से छिपछिया तक 4.00 किमी0 मोटर मार्ग के निर्माण हेतु वनभूमि प्रस्ताव उत्तराखण्ड लोक निर्माण विभाग को हस्तान्तरण प्रस्ताव।

प्रमाणित किया जाता है कि जनपद बागेश्वर के विधानसभा क्षेत्र कपकोट में जिला योजना के अन्तर्गत बागेश्वर—दोफाड—धरमधर—कोटमन्या मोटर मार्ग से छिपछिया तक 4.00 किमी0 मोटर का निर्माण (लम्बाई 4.00किमी0) के निर्माण में प्रभावित 2.100 है0 भूमि के बदले दुगुने में क्षतिपूर्ति वृक्षारोपण हेतु 4.200 है0 भूमि ग्राम दुलम की सिविल बेनाप खाता सं0 9(3)ख0 बजर काबिल आबाद भूमि जो राज्य सरकार की भूमि है। जिसमे राज्य सरकार का स्वामित्व है ग्राम दुलम की सिविल बेनाप भूमि को क्षतिपूर्ति वृक्षारोपण हेतु वन विभाग को देने में सहमत हूँ।

सहाय्यक अधिकारी  
निर्माणालय, लोनियावि  
कपकोट

अधिकारी अधिकारी  
निर्माणालय, खंड, लोनिया  
कपकोट (कपकोटर)

### प्रमाण पत्र

प्रमाणित किया जाता है कि जनपद बागेश्वर के विधानसभा क्षेत्र कपकोट में जिला योजना के अन्तर्गत बागेश्वर-दोफाड़-धरमघर-कोटमन्या मोटर मार्ग से छिपछिया तक 4.00 किमी<sup>0</sup> मोटर का निर्माण (लम्बाई 4.00किमी<sup>0</sup>) के निर्माण में स्थानीय काश्तकारों की जितनी भी नापभूमि सड़क निर्माण में काटी जायेगी, उस भूमि का मुआवजा नियमानुसार जिलाधिकारी, बागेश्वर द्वारा उपलब्ध सर्किल दरों के आधार पर भुगतान लोक निर्माण विभाग करेगा। यदि भू स्वामी उपलब्ध न हो तो उस दशा में उनके आश्रितों को नियमानुसार जिलाधिकारी महोदय द्वारा भूमि अधिग्रहीत कर मुआवजा काश्तकारों को विभाग द्वारा वितरित किया जायेगा।

संस्कारक अभियान  
नियमानुसार लोगों के लिए  
कपकोट

अधिशासा असेयता  
नियमानुसार असेयता  
निर्माण खुड़ लाइवी  
कपकोट (बागेश्वर)